आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

3.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

बटाईदारी अपील वाद सं0 – 02/2014–15
108/2015–16

रामानंद यादव, पिता–स्व0 अवध नारायण यादव, ग्राम–परिहारी, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – अपीलार्थी

बनाम

प्रदीप यादव, पिता–स्व0 शिवनारायण यादव, ग्राम–परिहारी, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया – प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी रामानंद यादव, पिता–स्व0 अवध नारायण यादव, सा0–परिहारी, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 30/2012–13 अंदर धारा 48(ई0) बी0टी0 एक्ट में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 के विरूद्ध यह अपील समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 13.10.2014 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 11.11.2014 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया और विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 18.8.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1198/वि0, दिनांक 25.8.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
परिहारी थाना नं0 130	459	1345	0.09 ए0
		1344	
		302	
		298	1.41 ए0
		301	**कुल 1.50 ए0**
		299	
		300	

समाहर्त्ता न्यायालय से ही पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई थी। पक्षकार समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल कर चुके है। अभिलेख हस्तांतरण उपरांत उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक द्वारा विपक्षी द्वितीय पक्ष प्रदीप यादव के पिता से मौखिक बटाईदारी पर खेती–बाड़ी करते आ रहें थे। फसल भी बाँट कर देते रहे। द्वितीय पक्ष प्रदीप यादव के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रदीप यादव को फसल बाँट कर देते थे। प्रदीप यादव 2012 में प्रश्नगत भूमि बेचने की बात कर जमीन खाली करने को कहा। तब आवेदक 48E B.T. Act के तहत विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में बिहार कास्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा सं0 30/2012–13 दाखिल किया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया ने अपने पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 में लिखा है कि "प्रथम दृष्टया मुकदमा पोषनीय नहीं है, क्योंकि विपक्षी एक विकलांग व्यक्ति है तथा प्रश्नगत भूमि दोनों पक्षों की संयुक्त भूमि है। विपक्षी के पिता की मृत्यु 45 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा आवेदक का उम्र 50 वर्ष है। तो ऐसी परिस्थिति में आवेदक का यह कथन बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है कि उन्होंने विपक्षी के पिता से प्रश्नगत भूमिं आधी बटाई पर लिया था और आवेदक विपक्षी के बटाईदार है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर वाद को खारिज किया गया है।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उनके मुकदमा को खारिज कर दिया गया। जबकि विपक्षी प्रदीप यादव के पिता वर्ष 1982 में अन्य जमीन की बिक्री किया है। अर्थात वे उस वक्त जीवित थे। अतः मुकदमा के वर्ष 2014 में वे 45 वर्ष पूर्व कैसे मर गये। साथ ही मुकदमा के वक्त आवेदक की उम्र 60 वर्ष थी, जो विद्यालय परीक्षा समिति के प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है। अतः विपक्षी प्रदीप यादव के पिता के जीवनकाल से ही वे वादग्रस्त भूमि बटाईदारी पर करते आ रहें हैं और फसल बाँट कर विपक्षी को देते आ रहें है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा बिना बोर्ड गठन के ही उनके दावे को खारिज कर दिया गया है, जो विधि सम्मत एवं नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रश्नगत भूमि पर आवेदक को बटाईदार घोषित करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी प्रदीप यादव के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान बालगोविन्द यादव, पिता–गरजु प्रसाद यादव व अवध नारायण यादव वो शिवनारायण यादव, पिता–झपटु यादव 1 हिस्सा ब हिस्सा बराबर दर्ज है, जो संयुक्त भूमि है। जिसका बँटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अपीलार्थी रामानंद यादव खतियानी रैयत अवध नारायण यादव के पुत्र है और विपक्षी प्रदीप यादव खतियानी रैयत शिव नारायण यादव के पुत्र है। इस प्रकार कोसेयर्रर बटाईदार नहीं हो सकते हैं। विपक्षी प्रदीप यादव विकलांग व्यक्ति है। अतः उनके हिस्से की जमीन को हड़पने का प्रयास अपीलार्थी द्वारा किया गया है। यह अपील निर्वहन योग्य नहीं हैं। साथ ही समाहर्त्ता न्यायालय को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा 48E B.T. Act के अन्तर्गत पारित आदेश जिसमें उन्होंने Prima Faciee आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, उसके विरूद्ध

अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं। जिसका उल्लेख P.L.J.R. 1995 Vol. Sc पेज नं0 74 में हैं।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्षों की संयुक्त खतियानी भूमि है। अपीलार्थी रामानन्द यादव द्वारा विपक्षी प्रदीप यादव जो विकलांग व्यक्ति है, पर भूमि हड़पने की नियत से बटाईदारी मुकदमा को लाया गया है। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी प्रदीप यादव के पिता के समय से ही बटाईदारी के तहत फसल बाँट कर देने का दावा कर रहें है तो इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ हीं दोनों पक्ष आपस में चचेरे भाई है, जो वादग्रस्त भूमि के कोसेयर्रर है।

48E B.T. Act के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने के क्षेत्राधिकार का जहाँ तक प्रश्न है तो P.L.J.R. 1995(i) पेज नं0 74 से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया बटाईदारी के आवेदन के दावे के बिन्दु पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित अस्वीकृति के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं।

अतएव बटाईदारी वाद सं0 30/2012–13 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 को विधि सम्मत पाते हुए उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 05 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 03/07/2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को बटाईदारी वाद सं0 30/12–13 (रामानंद यादव बनाम प्रदीप यादव) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.7.17

अपर समाहर्त्ता,
अररिया